



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: paramedicalgmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक / 2709 / पैरामेडिकल / नं.सि.चौ.शा.चि.म. / 2022

खण्डवा, दिनांक 13.04.2022

// द्वितीय, तृतीय एवं माँपअप चरण काउंसलिंग संबंधी सूचना //

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा द्वारा संचालित विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु विज्ञापित क्रमांक / 1199 / पैरामेडिकल / नं.सि.चौ.शा.चि.म. / 2022 खण्डवा, दिनांक 12.02.2022 जारी कर दिनांक 14 फरवरी 2022 से अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसमें अंतिम तिथि तक कुल 99 आवेदन प्राप्त हुए थे।

अंतिम तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों की स्कूटनी किये जाने के पश्चात् योग्य आवेदकों की मेरिट लिस्ट एवं प्रवेश संबंधी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmckhandwa.org /नोटिस बोर्ड पर अपलोड कर विज्ञापित क्रमांक / 34 / पैरामेडिकल / नं.सि.चौ.शा.चि.म. / 2022 खण्डवा दिनांक 03.03.2022 जारी कर विभिन्न पैरामेडिकल डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में प्रथम चरण की काउंसलिंग दिनांक 07 मार्च 2022 से 10 मार्च 2022 तक सम्पन्न करायी गयी थी, जिसमें काउंसलिंग के प्रथम चरण में विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में कुल 43 सीटों में से 40 सीटों में अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश ले लिया गया है, एवं 03 सीटे रिक्त हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Name of Course	Duration of Course	UR		OBC	ST	SC	Total Available Seats
			OPEN	FEMALE				
1.	Certificate Course in Ortho. Technician	1 Year	01	00	01	01	00	03

उपरोक्तानुसार रिक्त 03 सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय, तृतीय एवं माप-अप चरण काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथियाँ एवं समय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	काउंसलिंग	काउंसलिंग की तिथियाँ	काउंसलिंग का समय	मेरिट लिस्ट
1	द्वितीय चरण	21 अप्रैल 2022	रजिस्ट्रेशन- प्रातः 09:00 से 10:00 काउंसलिंग- प्रातः 10:00 बजे से	मेरिट क्रमांक 01 से 98 तक के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के प्रथम चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई।
2	तृतीय चरण	22 अप्रैल 2022 (समय सुबह 09:00 से 01:00 बजे तक)	रजिस्ट्रेशन- प्रातः 09:00 से 10:00 काउंसलिंग- प्रातः 10:00 बजे से 01:00 बजे तक	मेरिट क्रमांक 01 से 98 तक के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई।
3	माँपअप चरण	22 अप्रैल 2022 (समय दोपहर 01:30 बजे से 05:00 बजे तक)	काउंसलिंग- दोपहर 01:30 बजे से 05:00 बजे तक	मेरिट क्रमांक 01 से 98 तक के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई।

नोट:-

- काउंसलिंग के द्वितीय चरण पश्चात सीटे रिक्त रहती है तो तृतीय चरण काउंसलिंग संचालित की जावेगी।
- काउंसलिंग के तृतीय चरण पश्चात भी सीटे रिक्त रहती है तो मापअप चरण संचालित किया जावेगा। माँपअप चरण में प्रवेश पैरामेडिकल काउंसिल की अधिसूचना अनुसार (तृतीय काउंसलिंग के बाद भी आरक्षित सीटें रिक्त रहने की दशा में, संस्थान प्रवीण्यता के आधार पर प्रवेश प्रदान कर सकेगा) प्रदान किया जावेगा।
- रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अनुपस्थित होने की स्थिति में आवेदक के सीट का दावा निरस्त हो जावेगा।
- काउंसलिंग प्रक्रिया नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा लेक्चर हॉल, प्रथम तल पर की जावेगी।

काउंसलिंग के दौरान स्कूटनी समिति द्वारा उम्मीदवारों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों (Original Documents) की जांच की जावेगी। मूल दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

- 10 वीं कक्षा की अंकसूची।
- 12 वीं (10+2) कक्षा की अंकसूची।
- स्थानांतरण प्रमाण-पत्र।

निरंतर - 02



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम


लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: paramedicalgmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

// 02 //

4. माईग्रेशन प्रमाण-पत्र।
5. डिजीटल मूलनिवासी प्रमाण-पत्र।
6. जन्म प्रमाण पत्र (10 वीं कक्षा की अंकसूची में जन्मतिथि अंकित ना होने पर)।
7. डिजीटल जाति प्रमाण-पत्र केवल आरक्षित वर्ग के लिए।
8. वैध आय प्रमाण-पत्र।
9. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।
10. गेप सर्टिफिकेट (यदि आवेदक ने वर्ष 2021 से पहले 12 वी कक्षा उत्तीर्ण की है)
11. आधार कार्ड।
12. समग्र आई.डी.।
13. बैंक पासबुक। (कियोस्क बैंक खाता स्वीकार नहीं होगा।)

नोट :-

1. काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नियत समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सीट मेरिट के आधार पर आवंटित कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
2. काउंसलिंग में सीट आवंटित होने पर सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की पूर्ण फीस एकमुश्त (Full Fees) D.D., RTGS/NEFT, Online अथवा Cash के माध्यम से जमा करवानी होगी, अन्यथा सीट आवंटन रद्द हो जाएगा।
3. छात्रवृत्ति का लाभ मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल के नियमानुसार एवं निर्देशानुसार प्रवेश के पश्चात् प्राप्त होगा।
4. काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है जिसकी पूर्ण फीस प्रवेश के समय एकमुश्त जमा करनी है। अतः समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आप प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस रुपये 41604/- साथ लेकर आएं, जिससे की प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो।
5. काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों को सीट लिविंग बाण्ड एवं स्थानांतरणा (TC) एवं माईग्रेशन सर्टिफिकेट मुल दस्तावेजों हेतु एफिडेवित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. काउंसलिंग में भाग लेने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
7. काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग फीस रु. 500/- काउंसलिंग के समय जमा करवाना अनिवार्य होगा।
8. काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग समिति द्वारा समय-समय पर दिये जा रहे निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग हॉल में अभ्यर्थी के साथ केवल एक व्यक्ति (माता/पिता/अभिभावक) को प्रवेश की अनुमति होगी।
10. काउंसलिंग में समस्त आवेदकों को कोविड-19 के दौरान शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को स्वयं का मास्क एवं हेण्ड सेनिटाइजर लाना अनिवार्य होगा।
12. उपरोक्त तिथियों/प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संभावित परिवर्तन की सूचना चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की वेबसाइट www.gmckhandwa.org /नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। कृपया समय-समय पर अवलोकन करते हैं।
13. प्रवेश संबंधी नियमों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के समस्त अधिकार नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के पास सुरक्षित रहेंगे।


for अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा